Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 29, 2012
(PHALGUNA 10, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 29th February, 2012

No. 12-HLA of 2012/13.—The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 12-HLA of 2012

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2012. Short title.

2. In section 2 of the Haryana Private Universities Act, 2006 (hereinafter referred to as principal Act),— Amendment of section 2 of Haryana Act 32 of 2006.

Price : Rs. 5.00

(i) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(aa) 'Bar Council of India' means the Bar Council of India constituted under the Advocates Act, 1961 (Central Act 25 of 1961).

(ab) 'campus' means that area of the university in which it is established;";

(ii) clauses (d) and (e) shall be omitted;

(iii) for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(f) 'employee' means a person appointed by the university and includes a teacher, officer and any other staff of the university;

(fa) 'existing private university' means a university which has been established under the Haryana Private Universities Act, 2006 (32 of 2006) before the notification of the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2012;

(fb) 'faculty' means a group of academic departments of similar disciplines;";

(iv) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely: —

"(j) 'hostel' means a place of residence of the students of the university;";

(v) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ka) 'Indian Nursing Council' means an autonomous body constituted under section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947);";

(vi) for clauses (m) and (n), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(m) 'National Assessment and Accreditation Council' means National Assessment and Accreditation Council, Bangalore, an autonomous institution of the University Grants Commission;

(ma) 'National Board of Accreditation' means National Board of Accreditation, New Delhi, an autonomous body of All India Council for Technical Education;

(n) 'National Council for Teacher Education' means the National Council for Teacher Education, Delhi;";

(vii) clauses (o) and (p) shall be omitted;

(viii) for clause (q), the following clause shall be substituted, namely:—

"(q) 'Pharmacy Council of India' means Pharmacy Council of India, Delhi;";

(ix) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:—

"(s) 'regulating body' means a body established by the Government of India for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council for Technical Education, National Council for Teacher Education, Medical Council of India, Bar Council of India, Pharmacy Council of India, National Assessment and Accreditation Council, Indian Council of Agriculture Research, National Board of Accreditation, Indian Nursing Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government or any such body constituted by Government of India or the Government;";

(x) for clause (t), the following clause shall be substituted, namely:—

"(t) 'Rules' means the rules made by the Government under this Act;";

(xi) clause (y) shall be omitted; and

(xii) for clause (z), the following clause shall be substituted, namely:—

"(z) 'teacher' means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or any other person required to impart education or guide research or render guidance in any other form to the students for pursuing a course or programme of study of the university;".

Amendment of section 3 of Haryana Act 32 of 2006.

3. In section 3 of the principal Act,—

(i) for clause (6), the following clause shall be substituted, namely:—

"(6) to establish a campus;";

(ii) clause (7) shall be omitted;

(iii) for clause (9), the following clause shall be substituted, namely :—

"(9) to maintain the academic standard of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as per bye-laws and to ensure that the same are not lower than those laid down by the regulating body;"; and

(iv) clauses (10), (11) and (12) shall be omitted.

Amendment of section 4 of the Haryana Act 32 of 2006.

4. In section 4 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for sign (.) existing at the end, the sign (:) shall be substituted;

(ii) after sub-section (1), the following proviso shall be added. namely :

"Provided that the university excluding existing private university shall offer minimum three faculties at its commencement and shall provide instructions upto the level of Ph.D. in a period of three years in any of the three faculties in which it is imparting degree i.e. Humanities, Languages, Medicines, Commerce, Science, Engineering, Information Technology, Law, Agriculture and Allied Sciences, Management (Business, Hotel, Hospitality, Tourism etc.), Bio-Tech, Media and Mass Communication etc. with due permission from the relevant regulating bodies:

Provided further that if a sponsoring body intends to set up Health and Medical Sciences University, it shall not be mandatory to offer minimum three faculties.";

(iii) in sub-section (2), clause (r) shall be omitted;

(iv) in clause (a) of sub-section (4), the following sign and words shall be added at the end, namely:—

", manner of generation of funds to be raised by the proposed university before its operations. The sponsoring body shall give the detailed information in this regard as per the format given in the bye-laws framed under this Act at the time of application;"and

(v) in sub-section (6), for the words "one month" occurring twice, the words "six months" shall be substituted.

Amendment of section 5 of Haryana Act 32 of 2006.

5. In sub-section (1) of section 5 of the principal Act, –

(i) for clause (vi), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(vi) give undertaking to appoint at least one Professor, two Associate Professors and adequate number of Assistant Professors alongwith necessary supporting staff in each department or discipline to be started by the university;

(vi-a) maintain objectivity, fairness and transparency in the recruitment of teachers of the proposed university with qualification not less than those prescribed by the University Grants Commission or other regulating bodies;";

(ii) in clause (ix), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(iii) after clause (ix), the following clause shall be added, namely:—

"(x) provide its commitment to prevent all types of ragging in the campus in accordance with the regulations prescribed by the University Grants Commission, Government norms and statutory provisions in this regard, if any.".

6. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Amendment of section 10 of Haryana Act 32 of 2006.

"(10) **Bar to affiliation and opening off shore campus etc.**— (1) The university shall not admit any college or institution to the privilege of affiliation.

(2) It shall not open any off campus, off shore campus, study centre and examination centre in or out of the State of Haryana and shall not offer any programme through distance education mode.".

7. For sub-sections (1) and (2) of section 11 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :— Amendment of section 11 of Haryana Act 32 of 2006.

"(1) The sponsoring body shall establish an endowment fund for the university with a minimum amount of five crores rupees which shall be pledged in the form of Fixed Deposit Receipt in original in favour of the Higher Education Commissioner, Haryana, Panchkula.

Note : The provisions of sub-section (1) shall not be applicable to the existing private university.

(2) The endowment fund shall be used as a security deposit to ensure that the university complies with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Rules and Bye-laws. The Government shall have the power to forfeit the whole or part of fund in case the university or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Bye-laws or Rules or use it for meeting the expenditure for academic and administrative purposes in case of dissolution in accordance with bye-laws .".

8. In section 14 of the principal Act, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely:— Amendment of section 14 of Haryana Act 32 of 2006.

"(4A) the Controller of Examinations;".

9. For sub-section (1) of section 17 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 17 of Haryana Act 32 of 2006.

"(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor as per the qualifications prescribed by the University Grants Commission, subject to the provisions contained in sub-section (7) and shall hold office for a term of three years:

Provided that after expiry of the term of three years, the Vice-Chancellor shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that a Vice-Chancellor shall continue to hold the office even after the expiry of his term till new Vice-Chancellor joins. However, in any case the period shall not exceed one year.".

Amendment of section 18 of Haryana Act 32 of 2006.

10. For sub-section (1) of section 18 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The appointment of the Registrar shall be made by the Chairperson of the sponsoring body in such manner, as may be specified by the Statutes. The Registrar shall possess the qualifications prescribed by the University Grants Commission.".

Insertion of section 18A in Haryana Act 32 of 2006.

11. After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**18A. Appointment and functions of the Controller of Examinations.**— (1) The Controller of Examination shall be whole time salaried officer of the university and shall be appointed by the Chancellor in accordance with the Statutes.

(2) It shall be the duty of the Controller of Examinations,—

(i) to conduct examinations in a disciplined and efficient manner;

(ii) to arrange for the setting of papers with strict regard to secrecy;

(iii) to arrange for the evaluation of answer-sheets in accordance with the planned time schedule for results;

(iv) to constantly review the system of examinations in order to enhance the level of impartiality and objectivity with a view to make it better instrument for assessing the attainments of students;

(v) to deal with any other matter connected with examinations which may, from time to time, be assigned to him by the Vice-Chancellor.".

Amendment of section 30 of Haryana Act 32 of 2006.

12. In section 30 of the principal Act,—

(i) for clause (b) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) the terms and conditions of appointment of the Chancellor and the Vice-Chancellor and their powers and functions;";

(ii) for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) The Governing Body shall prepare First Statute of the university and submit the same to the Government for its approval within a period of one month after incorporation of the university in the Schedule of the Act.

(3) The Government shall consider the First Statute submitted by the university and if any modifications are deemed necessary, the same shall be conveyed to the university for sending the amended draft and if the amended draft is found in order, it shall give approval within a period of three months from the date of its receipt.".

Amendment of section 31 of Haryana Act 32 of 2006.

13. In sub-section (3) of section 31 of the principal Act, for the words "two months", the words "three months" shall be substituted.

Amendment of section 32 of Haryana Act 32 of 2006.

14. In sub-section (3) of section 32 of the principal Act, for the words "two months", the words "three months" shall be substituted.

Amendment of section 33 of Haryana Act 32 of 2006.

15. In sub-section (2) of section 33 of the principal Act, for the words "two months", the words "three months" shall be substituted.

Insertion of sections 34A, 34B and 34C in Haryana Act 32 of 2006.

16. After section 34 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"34A. Authorisation to commence the course.— (1) The university intending to start a new course or programme of study, shall intimate such intention to the Government, along with an assessment report as prescribed under the bye-laws.

(2) The Government shall specify the manner in which the university shall commence enrolment of students for such course or programme of study and shall give authorization to the university to

start the course or programme of study and also approve the procedure thereof.

(3) The university shall not commence first enrolment of students without specific authorization of the Government. In no case. the application for authorization be kept pending beyond 120 days, whereafter it shall be deemed to have the concurrence of the Government to start the course or programme of study.

34B. Power to cancel a course.— The Government may if it is satisfied that the university is not in a position to efficiently discharge the duties and obligations imposed, it may, after making such inquiry, as may be specified by bye-laws, cancel the permission to continue the course or programme of study.

34C. Compulsory disclosure of information.— (1) Every university established under this Act shall publish before expiry of sixty days prior to the date of the commencement of admission to any of its courses or programme of study, a prospectus containing the following information, namely:—

(a) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students for pursuing a course or programme of study, and the other terms and conditions of such payment;

(b) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student in case such student withdraws from university before or after completion of course or programme of study and the time within, and the manner, in which such refund shall be made;

(c) the number of seats approved by the statutory authority in respect of each course or programme of study for the academic year for which admission is proposed to be made;

(d) the conditions of eligibility for admission in a particular course or programme of study;

(e) the educational qualifications specified by the university where no such qualifying standards have been specified by any regulating body;

(f) the process of admission and selection of candidates, including all relevant information with regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test;

(g) details of the teaching faculty, including therein the educational qualifications, teaching experience and indicating therein whether such member is a regular facility member or is a visiting member;

(h) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel

accommodation, library and hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the university;

(i) broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the university, as the case may be, for every course or programme of study, including the teaching hours, practical sessions and other assignments;

(j) all relevant instructions with regard to maintenance of discipline by students within or outside the campus, prohibition of ragging and consequences thereof for violating the provisions of any regulations in this regard made under the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956) or any other law for the time being in force.

(k) any such other information which may be prescribed:

Provided that the university shall publish information referred to under this section on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in the different newspapers and through other media.

(2) Every university shall fix the price of each printed copy of the prospectus, not more than the reasonable cost of its publication, distribution or sale and its copy shall be sent to the Government for information. ".

17. For existing section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Amendment of section 36 of Haryana Act 32 of 2006.

"36. **Fee structure.**— (1) The university may, from time to time, prepare fee structure and shall send it for information to the Government, at least thirty days before the commencement of the academic session.

(2) The fee structure for the twenty-five per cent of the students who are domicile of Haryana shall be based on merit-cum-means and be as follows:—

(i) one-fifth of the twenty-five per cent shall be granted full fee concession;

(ii) two-fifth of the twenty-five per cent shall be granted fifty per cent fee concession;

(iii) the balance two-fifth of the twenty-five per cent shall be granted twenty-five per cent fee concession.

(3) The university shall not charge any fee, by what ever name called, other than that prescribed as per sub-sections (1) and (2) above :

Provided that in case of the university having collaboration with reputed foreign or international universities or other institutions of other similar nature, the Government, may, approve different percentage of students eligible for hundred per cent, fifty percent or twenty-five per cent fee concession.".

Amendment of section 40 of Haryana Act 32 of 2006.

18. For section 40 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"40. The university shall obtain accreditation from the National Assessment and Accreditation Council, Bangalore or National Board of Accreditation within five years of its establishment and inform the Government and such other regulatory bodies which are connected with the courses taken up by the university about the grade provided by the said accrediting bodies to the university. The university shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter or as per norms of the concerned accrediting bodies.".

Amendment of section 44 of Haryana Act 32 of 2006.

19. For section 44 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"44. Powers of Government to inspect university and academic and administrative audit.— (1) The Government may cause an assessment to be made, in such manner, as may be prescribed, for the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the university.

(2) The Government for ascertaining and ensuring quality at different levels of higher education in a university and for its continued sustenance shall conduct annual academic and administrative audit through Higher Education Department, Haryana or any other body or persons authorized by it, which shall scrutinize whether the university is complying with and functioning in accordance with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Rules, bye-laws, instructions and the conditions of the Letter of Intent.

(3) Such persons or body shall give their report within three months to the Government with specific recommendations and deficiencies, if found. The Government shall consider the report and issue a show cause notice of thirty days to the Chancellor as to why action should not be initiated against the university for the deficiencies noticed.

(4) After considering the reply to the show cause notice, the Government shall have the power to impose penalty under the Act.".

Insertion of section 44A in Haryana Act 32 of 2006.

20. After section 44 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**44A. Penalties.**— The following penalties may be imposed upon the university for maladministration, misinformation and for not maintaining standards, namely:—

(i) stopping of admissions in one or more faculties;

(ii) financial penalty of a minimum of ten lakhs and maximum of one crore;

(iii) dissolution of the university in a phased manner:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the university has been given a show cause notice.".

Amendment of section 46 of Haryana Act 32 of 2006.

21. In section 46 of the principal Act,—

(i) after sub-section (7) the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(7A) The administrator shall meet day to day expenses from the income/assets of the university. If the same are not sufficient, then the administrator with the prior approval of the Government shall have the powers to dispose of the properties and assets of the university.";

(ii) for sub-section (9), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall make an amendment in the Schedule under section 6 by omitting concerned university therefrom and from the date of such amendment, all the assets and liabilities of the university shall vest in the sponsoring body:

Provided that the degrees, diplomas or awards granted under sub-section (8) shall not be invalid merely on the ground that the university has been dissolved.".

Insertion of section 47A in Haryana Act 32 of 2006.

22. After section 47 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"**47A. Power to make bye-laws.**-The Government may, by notification in the Official Gazette, make bye-laws for carrying out the purposes of this Act.".

Amendment of Schedule in Haryana Act 32 of 2006.

23. In the Schedule to the principal Act, after serial number 6 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely :—

"7.	Baba Mast Nath University	District Rohtak
8.	M.V.N. University	District Palwal
9.	Ansal University	District Gurgaon".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, we need to double the number of institutions at all levels by 2020. The Government intervention and initiatives alone would not be adequate to meet the growing demands of higher education. Private Sector is an important player in providing higher education. For encouraging the persons/sponsoring bodies with rich experience of running educational institutions "The Haryana Private Universities Act, 2006" has been enacted by the Government under which Private Universities are created.

Even though the Private Universities established till date have shown promise to be emerged as Centres of Excellence in academic spheres, it has been felt that there is a requirement to introduce some new provisions for quality improvement and amend some existing one to match the contemporary needs of higher learning.

Taking cognizance of the Judgement of Hon'ble Supreme Court in Prof. Yashpal *versus* State of Chattisgarh, the provisions such as Study Centres, Off Campus and Off Shore Campus have been omitted. Further it has been decided not to allow distance mode of education in Private Universities.

Although the Private Universities set up so far have been providing education in multi disciplines, it has been made mandatory for a Private University to offer minimum three faculties providing instructions upto the level of Ph. D. However this condition will not be applicable on a Private Health University.

Further provisions like prevention of ragging, objectivity and transparency in the recruitment of teachers with prescribed qualifications, increasing endowment fund to Rs. Five Crores and its usage by the Government in case a University is dissolved, authorization to commence a course and withdrawal of such a permission, compulsory disclosure of information by a university and powers of Government to assess a University for ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University and imposition of penalties upon the University for misinformation, maladministration and for not maintaining standards, power of the Government to make bye-laws for private universities are some of the major additions to the Act.

Further existing provision of fee concession to the students of Haryana domicile has been made more explicit so that no room is left to ambiguity and all students under Haryana domicile category get fee concession as per prescribed procedure. And provisions where some abbreviations were wrongly used have been corrected.

Further for achieving the objectives enshrined in the Act, proposals have been formulated for setting up Baba Mast Nath University in District Rohtak, MVN University in District Palwal and Ansal University in District Gurgaon.

Hence, this bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 29th February, 2012

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 12–एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकता है ।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 2 का संशोधन ।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(कक) 'भारतीय विधिज्ञ परिषद्' से अभिप्राय है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्;

(कख) 'कैम्पस' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसमें यह स्थापित है ;";

(ii) खण्ड (घ) तथा (ड.) का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

"(च) 'कर्मचारी' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें विश्वविद्यालय का अध्यापक, अधिकारी तथा कोई अन्य अमला भी शामिल है;

(च क) 'विद्यमान निजी विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है, कोई विश्वविद्यालय जो हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 की अधिसूचना से पूर्व हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2006 का 32) के अधीन स्थापित किया गया है;

(च ख) 'संकाय' से अभिप्राय है, समरूप शिक्षणों के शैक्षिक विभागों का कोई समूह;";

(iv) खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ञ) 'छात्रावास' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के छात्रों का निवास स्थान;";

(v) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ट क) 'भारतीय नर्सिंग परिषद्' से अभिप्राय है, भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947(1947 का 48) की धारा 3 के अधीन गठित स्वायत्त निकाय ;";

(vi) खण्ड (ड) तथा (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ड) 'राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्त संस्था, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, बंगलोर ;

(ड क) 'राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड' से अभिप्राय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नई देहली ;

(ढ) 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्' से अभिप्राय है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, देहली;";

(vii) खण्ड (ण) तथा (त) का लोप कर दिया जाएगा;

(viii) खण्ड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(थ) 'भारतीय औषधीय परिषद्' से अभिप्राय है, भारतीय औषधीय परिषद्, देहली;";

(ix) खण्ड (ध) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ध) 'विनियमन निकाय' से अभिप्राय है, उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारतीय औषधीय परिषद्, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, भारतीय नर्सिंग परिषद्, वैज्ञानिक और

औद्योगिक अनुसंधान परिषद् इत्यादि तथा इसमें सरकार अथवा भारत सरकार या सरकार द्वारा गठित कोई ऐसा निकाय भी शामिल हैं;";

(x) खण्ड (न) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(न) 'नियमों' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियम ;";

(xi) खण्ड (म) का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(xii) खण्ड (य) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(य) 'अध्यापक' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अनुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति ;"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

(i) खण्ड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) कैम्पस स्थापित करना ;";

(ii) खण्ड (7) का लोप कर दिया जाएगा ;

(iii) खण्ड (9) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(9) उप-विधियों के अनुसार उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों के शैक्षिक मानक बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि ये विनियमन निकाय द्वारा अधिकथित मानकों से कम न हों ;"; तथा

(iv) खण्ड (10), (11) तथा (12) का लोप कर दिया जाएगा ।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, " : " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु विद्यमान निजी विश्वविद्यालय को छोड़कर विश्वविद्यालय इसके प्रारम्भ पर कम से कम तीन संकायों का प्रस्ताव करेगा तथा संबंधित विनियमन निकायों से सम्यक् स्वीकृति से किन्हीं तीन संकायों में जिनमें यह उपाधि दी जानी है अर्थात् मानविकी, भाषाओं, आयुर्विज्ञान, वाणिज्य, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इन्जीनियरिंग, विधि, कृषि तथा सहबद्ध विज्ञान, प्रबन्धन (व्यवसाय), होटल, सत्कार, पर्यटन इत्यादि), जैव तकनीकी, मीडिया तथा जनसम्पर्क संचार इत्यादि में तीन वर्ष की अवधि में पी0एच0डी0 के स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध करवाएगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई प्रायोजक निकाय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने का इच्छुक है, तो उसे कम से कम तीन संकायों का प्रस्ताव करना आदेशात्मक नहीं होगा ।";

(iii) उप–धारा (2) में, खण्ड (द) का लोप कर दिया जाएगा;

(iv) उप–धारा (4) के खण्ड (क) में, अन्त में, निम्नलिखित चिह्न तथा शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात्:–

"इसके परिचालन से पूर्व प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित की जाने वाली निधियों की उत्पति की रीति। प्रायोजक निकाय आवेदन के समय इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उप–विधियों में दिए गए प्ररूप के अनुसार इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना देगा;"; तथा

(v) उप–धारा (6) में, दो बार आने वाले "एक मास" शब्दों के स्थान पर, "छह मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 5 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) में,–

(i) खण्ड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(vi) विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले प्रत्येक विभाग या शिक्षण में आवश्यक सहायक अमले सहित कम से कम एक आचार्य, दो सह–आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में सहायक आचार्यों को नियुक्त करने की वचनबद्धता देना;

(vi–क) अर्हता जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा विनियमन निकायों द्वारा विहित अर्हता से कम न हों सहित प्रस्तावित विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती में विषयनिष्ठा, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता बनाए रखना;";

(ii) खण्ड (ix) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(iii) खण्ड (ix) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(x) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित विनियमों, इस संबंध में सरकारी मापदण्डों तथा कानूनी उपबन्धों, यदि कोई हो, के अनुसार कैम्पस में सभी प्रकार की रैगिंग की रोकथाम हेतु अपनी प्रतिबद्धता देना ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 10 का संशोधन।

"10 ऑफ शॉर कैम्पस इत्यादि की सम्बद्धता तथा स्थापना का वर्जन.-- (1) विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय तथा संस्था की सम्बद्धता का विशेषाधिकार स्वीकृत नहीं करेगा ।

(2) यह राज्य के भीतर अथवा बाहर कोई ऑफ कैम्पस, ऑफ शॉर कैम्पस, अध्ययन केन्द्र तथा परीक्षा केन्द्र स्थापित नहीं करेगा तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेगा ।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 11 का संशोधन।

"(1) प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय के लिए कम से कम पांच करोड़ रुपये की राशि से विन्यास निधि स्थापित करेगा जो उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला के पक्ष में मूलरूप में सावधि निक्षेप रसीद के रूप में गिरवी रखी जाएगी।

टिप्पण: उप-धारा (1) के उपबन्ध विद्यमान निजी विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होंगे ।

(2) विन्यास निधि निक्षेप प्रतिभूति के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाएगी कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों तथा उप-विधियों के उपबन्धों का अनुपालन करता है। सरकार को निधि को पूर्णतः या भागतः जब्त करने की शक्ति होगी यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, उप-विधियों या नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उपविधियों के अनुसार विघटन के मामले में शैक्षिक तथा प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए खर्च पूरा करने के लिए इसे प्रयोग करता है।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 14 में, खण्ड (4) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:- 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 14 का संशोधन।

"(4क) परीक्षा नियंत्रक;" ।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 17 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) कुलपति उप धारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, कुलपति तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी निरन्तर पद धारित करता रहेगा जब तक नया कुलपति पद ग्रहण नहीं करता है। तथापि, किसी भी दशा में अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 18 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) कुल सचिव की नियुक्ति, प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। कुल सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित अर्हताओं से युक्त होगा।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 में धारा 18 क का रखा जाना

11. मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"18 क. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति तथा कृत्य.–

(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा परिनियमों के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे,–

(i) अनुशासित तथा दक्ष रीति में परीक्षाएं संचालित करना ;

(ii) पेपरों को तैयार करने के लिए पूरी गोपनीयता के संबंध में प्रबन्ध करना ;

(iii) परिणामों के लिए योजनाबद्ध समय अनुसूची के अनुसार उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रबन्ध करना ;

(iv) छात्रों की उपलब्धियों के निर्धारण के लिए इसे बेहतर माध्यम बनाने के दृष्टिगत निष्पक्षता तथा विषय–निष्ठता के स्तर को बढ़ाने के लिए परीक्षाओं की पद्धति का निरन्तर पुनर्विलोकन करना ;

(v) परीक्षाओं से संबंधित किसी अन्य मामले जो समय–समय पर कुलपति द्वारा उसे सौंपा जाए, का निपटान करना ।"।

12. मूल अधिनियम की धारा 30 में,— 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 30 का संशोधन।

(i) उप धारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) *कुलाधिपति तथा कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें तथा उनकी शक्तियां तथा कृत्य;*";

(ii) उप–धारा (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) शासकीय निकाय विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम तैयार करेगा तथा इसे अधिनियम की अनुसूची में विश्वविद्यालय के निगमीकरण के बाद एक मास की अवधि के भीतर इसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम पर विचार करेगी तथा यदि कुछ उपान्तरण आवश्यक समझे जाते हैं, तो संशोधित प्रारूप भेजने के लिए उन्हें विश्वविद्यालय को सूचित करेगी तथा यदि संशोधित प्रारूप नियमानुसार पाया जाता है, तो यह इसकी प्राप्ति की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर अनुमोदन देगी।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (3) में, "दो मास" शब्दों के स्थान पर, "तीन मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 31 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) में, "दो मास" शब्दों के स्थान पर, "तीन मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 32 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप धारा (2) में, "दो मास" शब्दों के स्थान पर, "तीन मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 33 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 34 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 में धारा 34क, 34ख तथा 34ग का रखा जाना।

"34क. *पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्राधिकार देना.*—(1) नये पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन को प्रारम्भ करने के लिए आशयित विश्वविद्यालय उप–विधियों के अधीन यथा विहित निर्धारण रिपोर्ट सहित सरकार को ऐसा आशय सूचित करेगा ।

(2) सरकार ऐसी रीति विनिर्दिष्ट करेगी जिसमें विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन के लिए छात्रों के नामांकन प्रारम्भ करेगा तथा विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन प्रारम्भ करने हेतु प्राधिकार देगी तथा उसकी प्रकिया भी अनुमोदित करेगी।

(3) विश्वविद्यालय सरकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना छात्रों के प्रथम नामांकन प्रारम्भ नहीं करेगा। किसी भी मामले में, प्राधिकार के लिए आवेदन 120 दिन से अधिक लम्बित नहीं रखा जाएगा, उसके बाद पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन शुरू करने के लिए सरकार की सहमति हो गई समझी जाएगी ।

34 ख. पाठ्यक्रम रद्द करने की शक्ति.– सरकार की यदि संतुष्टि हो जाती है कि विश्वविद्यालय अधिरोपित कर्त्तव्यों तथा बाध्यताओं के दक्षतापूर्ण पालन करने की स्थिति में नहीं है, तो यह ऐसी जांच करने के बाद, जो उप–विधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति रद्द कर सकती है ।

34 ग. सूचना का अनिवार्य प्रकटीकरण.– (1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय इसके किन्हीं पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन में प्रवेश के प्रारम्भ की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति से पहले निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट करते हुए विवरण पत्रिका प्रकाशित करेगा, अर्थात्:--

(क) पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अनुसार अध्ययन के लिए छात्रों द्वारा भुगतान योग्य फीस, निक्षेपों तथा अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक तथा ऐसे भुगतान के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ;

(ख) छात्र को वापसी योग्य ट्यूशन फीस तथा अन्य प्रभारों की प्रतिशतता यदि ऐसा छात्र पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन पूर्ण होने से पूर्व या बाद में विश्वविद्यालय छोड़ता है तथा समय जिसके भीतर तथा रीति जिसमें ऐसी वापसी की जाएगी ;

(ग) शैक्षिक वर्ष जिसके लिए प्रवेश दिया जाना प्रस्तावित किया गया है, के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन के संबंध में समुचित कानूनी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या ;

(घ) विशेष पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन में प्रवेश के लिए पात्रता की शर्तें ;

(ड.) विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं जहां ऐसे अर्हक मानक किसी विनियमन निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं ;

(च) प्रत्येक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन में प्रवेश के लिए ऐसे उम्मीदवारों के चयन हेतु टैस्ट या परीक्षा के विवरणों के संबंध में सभी सम्बद्ध सूचना सहित उम्मीदवारों के प्रवेश तथा चयन की प्रक्रिया तथा प्रवेश टैस्ट के लिए भुगतान की जाने वाली फीस की राशि ;

(छ) अध्ययन संकाय के विवरण जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताएं, अध्यापन अनुभव भी शामिल है तथा उसमें यह भी इंगित किया गया है कि चाहे ऐसा सदस्य नियमित सुविधा सदस्य है या अतिथि सदस्य है ;

(ज) छात्रावास, पुस्तकालय तथा अस्पताल या उद्योग जिसमें छात्रों को दिया जाने वाला व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा विशिष्टतया विश्वविद्यालय में प्रवेश दिये जाने पर छात्रों द्वारा प्राप्त सुविधाओं सहित भौतिक तथा शैक्षणिक अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में सूचना ;

(झ) अध्यापन समय, व्यावहारिक सत्र तथा अन्य कार्यो सहित प्रत्येक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अध्ययन के लिए यथा स्थिति समुचित कानूनी प्राधिकरण द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्य विवरण की विस्तृत रूपरेखा ;

(ञ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 के केन्द्रीय अधिनियम 3) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन इस संबंध में बनाए गए किन्हीं विनियमों के उपबन्धों की उल्लंघना के लिए कैम्पस के भीतर या बाहर छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने, रैगिंग के निषेध तथा उसके परिणामों के संबंध में सभी संबंधित अनुदेश ;

(ट) कोई ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए:

परन्तु विश्वविद्यालय अपनी वैब साईट पर इस धारा के अधीन निर्दिष्ट सूचना प्रकाशित करेगा, तथा भावी छात्रों तथा जन साधारण का ध्यान विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित विज्ञापनों के माध्यम से तथा अन्य मीडिया के माध्यम से वैबसाईट पर ऐसे प्रकाशन की ओर दिलाएगा।

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय विवरण पत्रिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति की कीमत नियत करेगा जो इसके प्रकाशन, वितरण या विक्रय की युक्तियुक्त लागत से अधिक न हो तथा इसकी प्रति सरकार को सूचना के लिए भेजी जायेगी।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 36 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"36. फीस संरचना.—(1) विश्वविद्यालय, समय—समय पर, फीस संरचना तैयार कर सकता है तथा इसे शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से कम से कम तीस दिन पूर्व सरकार को सूचनार्थ भेजेगा ।

(2) छात्रों जो हरियाणा के अधिवासी हैं, के पच्चीस प्रतिशत के लिए फीस संरचना योग्यता एवं साधन पर आधारित होगी तथा जो निम्नलिखित होगी:—

(i) पच्चीस प्रतिशत के 1/5 को सम्पूर्ण फीस की छूट दी जाएगी ;

(ii) पच्चीस प्रतिशत के 2/5 को पचास प्रतिशत की फीस की छूट दी जाएगी ;

(iii) पच्चीस प्रतिशत के शेष 2/5 को 25 प्रतिशत फीस की छूट दी जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय उपरोक्त उप–धारा (1) तथा (2) के अनुसार विहित से अन्यथा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा:

परन्तु यदि विश्वविद्यालय विख्यात विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या अन्य समरूप स्वरूप की अन्य संस्थाओं से सहयोग रखता है, तो सरकार पात्र छात्रों की विभिन्न प्रतिशतता के लिए सौ प्रतिशत, पचास प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत फीस छूट का अनुमोदन कर सकती है।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 40 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"40. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, बंगलोर या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से अपनी स्थापना के पांच वर्ष के भीतर प्रत्यायन प्राप्त करेगा और सरकार और ऐसे अन्य विनियामक निकायों को, जो विश्वविद्यालय के उक्त प्रत्यायन निकायों के द्वारा उपबन्धित ग्रेड के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से संबंधित है, सूचित करेगा। विश्वविद्यालय तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर या सम्बद्ध प्रत्यायन निकायों के मापदण्डों के अनुसार ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 44 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"44. विश्वविद्यालय का निरीक्षण तथा शैक्षिक तथा प्रशासकीय लेखा परीक्षा करने की सरकार की शक्ति.–(1) सरकार विश्वविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा तथा अनुसन्धान या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी अन्य मामले के मानकों के अभिनिश्चयन के प्रयोजन के लिए यथा विहित ऐसी रीति में निर्धारण करवाएगी।

(2) सरकार किसी विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गुणवता को अभिनिश्चित तथा सुनिश्चित करने के लिए तथा उसकी निरन्तर पुष्टि के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा या किसी अन्य निकाय या इस द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से वार्षिक शैक्षिक तथा प्रशासकीय लेखा–परीक्षा का संचालन करेगी जो संवीक्षा करेगी कि क्या विश्वविद्यालय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों,

उप–विधियों, अनुदेशों तथा आशय पत्र की शर्तों के उपबन्धों का अनुपालन कर रहा है तथा उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहा है।

(3) ऐसे व्यक्ति या निकाय विशिष्ट सिफारिशों तथा त्रुटियां, यदि पायी जाती हैं, सहित सरकार को तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को तीस दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि क्यों न ध्यान में आई त्रुटियों के लिए विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

(4) कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद, सरकार को अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी।"।

20. मूल अधिनियम की धारा 44 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 में धारा 44 क का रखा जाना।

"44 क शास्ति.– विश्वविद्यालय पर कुप्रशासन,मिथ्या सूचना के लिए तथा मानकों को न बनाए रखने के लिए निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकती हैं, अर्थात्:–

(i) एक या एक से अधिक संकायों में प्रवेश रोकना ;

(ii) न्यूनतम दस लाख तथा अधिकतम एक करोड़ की वित्तीय शास्ति ;

(iii) विश्वविद्यालय का प्रावस्थाबद्ध रीति में विघटन :

परन्तु कोई भी ऐसी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस न दे दिया गया हो ।"।

21. मूल अधिनियम की धारा 46 में,– 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 46 का संशोधन।

(i) उपधारा 7 के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(7 क) प्रशासक विश्वविद्यालय की आय/परिसम्पति से दिन प्रतिदिन के खर्च को पूरा करेगा। यदि वे पर्याप्त नहीं है, तब प्रशासक को सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का निपटान करने की शक्तियां होगी।";

(ii) उपधारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(9). उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार सम्बद्ध विश्वविद्यालय का लोप करते हुए धारा 6 के अधीन अनुसूची में संशोधन करेगी तथा ऐसे संशोधन की तिथि से विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्ति तथा दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे:

परन्तु उप धारा (8) के अधीन दी गई उपाधि, डिप्लोमा या पुरस्कार केवल इस आधार पर अवैध नहीं होंगे कि विश्वविद्यालय विघटित हो गया है ।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 में धारा 47 क का रखा जाना।

22. मूल अधिनियम की धारा 47 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"47क. उप–विधियां बनाने की शक्ति.–सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उप–विधियां बना सकती है ।"।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 मे अनुसूची का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:--

"7.	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय	जिला रोहतक
8.	एम वी. एन. विश्वविद्यालय	जिला पलवल
9.	अंसल विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित बढ़ोतरी को समायोजित करने की व्यवस्था में हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2020 तक संस्थाओं की संख्या में दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केवल सरकार के प्रयास एवं पहल ही पर्याप्त नहीं होंगे। उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शैक्षणिक संस्थाएं चलाने में अपार अनुभव वाले व्यक्तियों/प्रयोजक निकायों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 बनाया गया जिसके तहत निजी विश्वविद्यालयों की रचना की जाती है।

हलांकि अब तक स्थापित निजी विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उभरने की संभावना दिखाई है तथापि यह अनुभव किया गया है कि उच्च शिक्षा में समकालीन आवश्यकताओं की बराबरी करने के लिए मौजूदा प्रावधानों में संशोधन एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कुछ नये प्रावधानों को लाने की आवश्यकता है।

प्रो० यशपाल बनाम छतीसगढ़ राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संज्ञान करते हुए, अध्ययन केन्द्रों, ऑफ कैम्पस केन्द्रों और अपतटीय कैम्पस जैसे प्रावधानों को निकाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को चलाने की अनुमति न देने का भी निर्णय लिया गया है।

यद्यपि अब तक स्थापित निजी विश्वविद्यालय बहु-विद्याओं में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, निजी विश्वविद्यालयों के लिए दर्शन निष्णात स्तर तक कम से कम तीन संकायों में शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है तथापि यह शर्त निजी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त रैगिंग की रोकथाम, वर्णित योग्यताओं के साथ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती को विषयनिष्ठवाद एवं पारदर्शी बनाने, स्थाई निधि को रु० 5 करोड़ तक बढ़ाने और विश्वविद्यालय के विघटित होने की स्थिति में सरकार द्वारा इसके प्रयोग करने, पाठ्यक्रम को शुरू करने और इस स्वीकृति को वापस लेने का अधिकार, विश्वविद्यालय द्वारा सूचना का अनिवार्य प्रकटीकरण एवं शिक्षण मानकों का पता लगाने, परीक्षा एवं शोध अथवा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य किसी मामले में विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के लिए सरकार की शक्तियों और विश्वविद्यालयों पर गलत सूचना देने, विफल प्रशासन एवं मानकों को न बनाये रखने के कारण, निजी विश्वविद्यालयों के लिए विनियम बनाने की सरकार की शक्तियां, इस अधिनियम के कुछ मुख्य संस्करण हैं।

इससे आगे, हरियाणा अधिवासी विद्यार्थियों को फीस में छूट के वर्तमान प्रावधान को ओर सुस्पष्ट किया गया है ताकि सन्देह का कोई रास्ता न रहे तथा वर्णित प्रक्रिया अनुसार हरियाणा अधिवासी श्रेणी के तहत सभी विद्यार्थियों को फीस में छूट मिल सके एवं ऐसे प्रावधान जहां संक्षिप्त रूपों का गलत प्रयोग किया गया था उन्हें ठीक किया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, जिला पलवल में एम०वी०एन० विश्वविद्यालय तथा जिला गुड़गांव में अंसल विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अत: बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
29 फरवरी, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।

49655—H.V.S.—H.G.P., Chd